न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 70 / 18 निर्णय दिनांक 08.5.2019

1. ओम पुत्र धनदास जाति बैरागी निवासी मोहकमपुरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. जानकीदास पुत्र मघदास जाति बैरागी निवासी मोहकमपुरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 04—07—2018

उपस्थितः
1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रामावतार बूरी, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 04—07—2018 जिसके द्वारा अपीलांट के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि यह अपील अब निष्फल हो चुकी है क्योंकि जिस जैर अपील आदेश के विरुद्ध की गयी है वह दिनांक 22—11—2018 तक प्रभावी था और इसके बाद इस आदेश की अवधि नहीं बढ़ाई गयी है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कहा कि जैर अपील आदेश अब प्रभाव में नहीं रहा है, इसलिए इस अपील का गुणावगुण पर निर्धारण नहीं हो सकता, लेकिन इसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा 2001(1) आर.आर.टी.01 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मूल न्यायालय को नये सिरे से निर्णय करने हेतु लौटा दिया जावे ।

5. बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया ।

6. प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर द्वारा 04—07—2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था जिसकी अवधि दिनांक 22—11—2018 तक थी । अब उक्त जैर अपील आदेश प्रभाव में नहीं है क्योंकि उसकी अवधि आगे नहीं बढ़ाई गयी है, ऐसी स्थिति में यह अपील निष्फल हो गयी है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा "बाबूलाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू" 2001(1) आर.आर.टी. 01 में दिये गये दृष्टान्त के अनुसार यह प्रकरण मूल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे इस प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर एक माह की अवधि के भीतर निर्णय पारित करें । अपीलांट को जरिये अभिभाषक निर्देश दिये जाते हैं कि वे उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के समक्ष दिनांक 15—05—2018 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

7. अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे ।

8. निर्णय आज दिनांक 08—05—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(रामनिवास जाटं)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर